

प्रेषक,

श्री पी० एल० पुनिया,
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
आवास एवं नगर विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
3. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अध्यक्ष,
समस्त नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, उ०प्र०।

आवास अनुभाग - 3

लखनऊ: दिनांक-18 जुलाई, 2001

विषय: प्रदेश के नगरों को प्रदूषण मुक्त करने, पर्यावरण सुधार एवं नगरों को हरित एवं सुन्दर बनाने के उद्देश्य से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं हरित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए "आपरेशन ग्रीन" अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखने, वातावरण को दूषित होने से बचाने, मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करने तथा वृक्षों एवं वनों से लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापक वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई भाग वनाच्छादित होना आवश्यक बताया गया है, तदनुसार प्रदेश सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के 33 प्रतिशत भूभाग को वनाच्छादित किया जाये। उत्तरांचल राज्य के निर्माण के पश्चात वर्तमान में प्रदेश में मात्र 7.04 भू-भाग ही वन क्षेत्र है एवं इस पर वृक्षारोपण मात्र 4.46 प्रतिशत ही है। इस अत्यधिक न्यून वनावरण को 33 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने हेतु उपलब्ध भूमि पर बड़े पैमाने पर सघन वृक्षारोपण करने हेतु "आपरेशन ग्रीन" अभियान चलाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। प्रथम चरण में यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में समस्त जनपदों में 01 जुलाई, 2001 से 31 अगस्त, 2001 तक की अवधि के लिए चलाया जा रहा है। जुलाई माह में ही किन्हीं दो दिवसों को चिन्हित कर वृक्षारोपण किया जाना है।

पूर्व में शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के लिए विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद की भूमि में वृक्षारोपण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2085/9-आ-3-99-23 विविध/99, दिनांक 28 मई, 1999 एवं शासनादेश संख्या-2721/9-आ-3-99-23 विविध/99 दिनांक 9 जुलाई, 1999 द्वारा मानक निर्धारित करते हुये समस्त विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद को वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी अनुक्रम में हरित पट्टी उत्तर प्रदेश बनाने विषयक परती भूमि विकास अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित नवीनतम शासनादेश संख्या-973/14-प०भू०वि०/2001 दिनांक 8 जून, 2001 (प्रति संलग्न) के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरित उत्तर प्रदेश

बनाने के लिए "आपरेशन ग्रीन" अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(1) समस्त अभिकरण, वृहद वृक्षारोपण की एक योजना बनायेंगे उक्त कार्य में निजी प्रतिष्ठानों, स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न क्लबों आदि का भी इस पुनीत कार्य में सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाये।

(2) प्रत्येक अभिकरण यथासंभव अपने द्वारा संचालित/पोषित पार्कों में से एक पार्क को "स्मृति पार्क" के रूप में परिवर्तित करें तथा स्थानीय नागरिकों को प्रोत्साहित करें कि इस प्रकार के पार्क में वह अपने प्रियजनों को यादगार बनाये रखने के उद्देश्य से वृक्षों की स्थापना/पोषण करेंगे।

(3) प्रत्येक अभिकरण उपलब्ध भूमि से किसी उपयुक्त भूखण्ड पर एक नगरीय वन भी विकसित करेंगे।

(4) प्रत्येक अभिकरण अपने वार्षिक बजट में एक निश्चित प्रतिशत वृक्षारोपण, वन संरक्षण की मद में प्राविधानित करेंगे।

(5) इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वन विभाग से संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके कार्यवाही करेंगे।

(6) वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधों की उपलब्धता वन विभाग की पौधशालाओं से सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी का भी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

(7) पर्यावरण संरक्षण एवं नगरीय वनीकरण हेतु नियमों/अधिनियमों में जिन-जिन संशोधनों की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, उनके संबंध में आवश्यक प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाये।

(8) वृक्षारोपण के पश्चात उसके रख-रखाव, सिंचाई आदि के दायित्व सम्यक रूप से निर्धारित कर दिया जाये तथा इसका नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(9) अभिकरणों की अतिकृमि भूमि/भूखण्ड से अवैध कब्जे हटाकर आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण का कार्य कराया जाये।

(10) भविष्य की दूरगामी योजनाओं की दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण इस तरह किया जाये कि आने वाले दशकों में यह अभिकरण के लिए आय का एक साधन भी बन सके।

(11) पर्यावरण संरक्षण/संवर्धन की दृष्टि से वृक्षारोपण के महत्व को स्थापित करने के लिए जन चेतना बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये।

3- उपरोक्त कार्यवाही के प्ररिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा प्रदेश में स्थित समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सघन वृक्षारोपण अभियान हेतु लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किये गये है :-

क्र०सं० अभिकरण का नाम वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य 1 2 3

1. उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद 5 लाख
2. कानपुर विकास प्राधिकरण 1 लाख 35 हजार
3. लखनऊ विकास प्राधिकरण तदैव
4. इलाहाबाद विकास प्राधिकरण तदैव
5. मेरठ विकास प्राधिकरण 1 लाख 35 हजार
6. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तदैव
7. वाराणसी विकास प्राधिकरण 1 लाख 25 हजार
8. गोरखपुर विकास प्राधिकरण तदैव
9. बरेली विकास प्राधिकरण तदैव
10. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण तदैव
11. आगरा विकास प्राधिकरण तदैव
12. सहारनपुर विकास प्राधिकरण 1 लाख 1 2 3
13. अलीगढ़ विकास प्राधिकरण तदैव

14. झांसी विकास प्राधिकरण 60 हजार
15. मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण तदैव
16. बांदा विकास प्राधिकरण तदैव
17. अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण 35 हजार
18. बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण तदैव
19. उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण तदैव
20. फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण तदैव
21. रायबरेली विकास प्राधिकरण तदैव
22. हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण तदैव
23. मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण तदैव
24. मिर्जापुर - विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तदैव
25. चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तदैव

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सघन अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। शासन द्वारा पैरा-2 में निर्धारित सामान्य मार्गदर्शक बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रत्येक अभिकरण अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वयं निर्मित कर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है परन्तु मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सघन वृक्षारोपण अभियान चलाकर पूर्ण किया जाये। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के अनुपालन हेतु समस्त अभिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य के अनुश्रवण के लिए शासन स्तर से भी अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की टीम को क्षेत्रीय भ्रमण एवं तद्विषयक निरीक्षण के लिए अलग से नामित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

पी0 एल0 पुनिया
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव

संख्या - 3175/9-आ-3-2001-23 विविध/99 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया विभागीय अधिकारियों को इस बृहद वृक्षारोपण अभियान में यथोचित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें
2. मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, आवास विभाग के निजी सचिव।
3. आवास विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव